न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 1867/2017

-:: प्रार्थी ::-

1. राज्य सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण

बनाम

-:: अप्रार्थी::-

1. सदस्य भगतसिंह क्लब आ.कालू
तहसील-जैतारण जिला-पाली राज.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 आर.टी एक्ट

तारीख रजू:.06/10/2017

उपस्थित:-

1. तहसीलदार जैतारण, प्रार्थी।
2. अध्यक्ष/सदस्य भगतसिंह क्लब आ.कालू, अप्रार्थी।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:-18/11/2019

तहसीलदार जैतारण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 का पेश किया कि पटवारी हल्का आ.कालू द्वारा कार्यालय हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भगतसिंह क्लब सदस्यों ने मौजा आ.कालू के खसरा नंबर 1838/3 रकबा 5-00 बीघा किस्म गैर.मुमकिन आबादी में बिना स्वीकृति के 15-16 हरे नीलगिरी के पेड़ काट लिये है जिसकी मौका जांच करने पर पाया गया कि पेड़ बिना स्वीकृति के हटाये गये है मौके पर 15-16 नीलगिरी के वृक्ष कटे हुए पाये गये जिनको चम्पालाल रिया वार्डपंच संख्या 10 को सुपुर्दगी में दिया जाकर खुर्द बुर्द नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। फर्द मौका कार्यवाही संलग्न है। उक्त आराजी गै.मु. आबादी दर्ज है जिसमें से बिना स्वीकृति के पेड़ हटाये गये है। जो नियमों के विरूद्ध है। दावा राजहित में है इसलिए कोर्ट फीस देय नहीं है। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अप्रार्थी अध्यक्ष/सदस्य भगतसिंह क्लब, आ.कालू ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम आ.कालू तहसील-जैतारण में शहीद भगतसिंह क्लब सन 1998 से रजिस्टर्ड सार्वजनिक संस्था है जिसमें 20-25 सदस्य ग्राम की सार्वजनिक कार्यो खेलकूद, नशामुक्ति, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य केम्पों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। विगत वर्ष 2017 में संस्था के परिसर में दिवार एवं एक नया गेट लगाने के निर्माण में 5-7 नीलगीरी के अनुपयोगी सूखे गले टेडे तिरछे वृक्ष आड़े आ रहे थे उन्हें हटाने हेतु ग्रमा पंचायत की मौखिक स्वीकृति एवं नये 15-20 पौधे लगाने के आश्वासन के बाद उन्हें हटाकर ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया है। अतः श्रीमानजी की सेवा में यह जवाब पेश कर निवेदन है कि उक्त मुकदमा में हमारी संस्था को राहत पहुंचाये एवं आइंदा के लिए हम पाबंद रहेंगे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार, जैतारण द्वारा अपनें प्रार्थना-पत्र में यह अंकित किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा मौजा आ.कालू के खसरा नंबर 1883/3 रकबा 5-00 बीघा किस्म गैर मुमकिन आबादी भूमि में से बिना स्वीकृति के 15-16 नीलगिरी के पेड़ काट दिए जानें पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। पटवारी मौका रिपोर्ट में भी उक्त भूमि के गै.मु. आबादी होनें का कथन है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 83,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

84 और 86 के अंतर्गत गैर मुमकिन आबादी भूमि के संबंध में न्यायालय, सहायक कलक्टर के समक्ष कार्यवाही हेतु न तो तहसीलदार द्वारा कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है और न ही सहायक कलक्टर को ऐसी भूमियों में से अनाधिकृत रूप से वृक्ष काटे जानें से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई एवं विचारण का कोई क्षेत्राधिकार है।

–:: आदेश ::–

अतः हस्तगत प्रकरण न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से बाहर होनें के कारण तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–86 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज़/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण पाली

निर्णय आज दिनॉक 18/11/2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.02 17:00:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: